[illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 116/2025
17.02.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वादपत्र में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश बाबत जारी किये जाने अन्तिम डिक्री वादपत्र पत्रावली दिनांक 27.02.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
27.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
116 / 2021	2021 / 271	17.09.2021	27.02.2025 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. कैलाश चन्द पुत्र भोमाराम उर्फ भेभाराम आयु 70 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी हरदाकावाली तन् ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

––वादी––

बनाम्

1. मुक्तिलाल पुत्र सुरजमल आयु 55 वर्ष
2. प्रभाती देवी पत्नि सुरजमल आयु 80 वर्ष
3. गिरधारी लाल पुत्र भोमाराम उर्फ भेभाराम आयु 66 वर्ष
4. विश्वेश्वर पुत्र भोमाराम उर्फ भेभाराम आयु 68 वर्ष

   जाति समस्त ब्राह्मण निवासीगण ढाणी हरदाकावाली तन् ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादीगण––

उपस्थितः–

श्री जगदीश गुर्जर, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री फूलचन्द सामोता, श्री जितेन्द्र गौड़ एड0, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अभिभाषक
सरकारी पैरोकार [illegible] प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 1.54 है0 तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी वादी का हिस्सा 31/77 (0.62 हैक्टर) एंव प्रतिवादी न0 1 का हिस्सा 15/154 तथा शेष 77/154 हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी न0 1 एंव प्रतिवादी न0 2 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादीया नम्बर 2 एंव प्रतिवादी नम्बर 1 दोनों माता व पुत्र है। उक्त भूमि में वादी की 0.62 हैक्टर भूमि मौके पर उत्तरी भाग की ओर स्थित है तथा शेष भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के हिस्से में मौके में बंटी हुई है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 1. 06 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.32 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी वादी का 30/232 हिस्सा (अर्थात 0.30 हैक्टर) एंव प्रतिवादी नम्बर 3 के 101/232 हिस्सा (अर्थात 1.01 हैक्टर) तथा प्रतिवादी नम्बर 4 का हिस्सा 101/232 (अर्थात 1.01 हैक्टर) संयुक्त रूप से है। उक्त भूमि जो वादी के हिस्से की 0.30 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 4 में मौके पर पश्चिमी ओर का भाग है तथा शेष उक्त भूमियों में प्रतिवादी नम्बर 3 के दक्षिणी पूर्वी ओर की एंव प्रतिवादी नम्बर 4 के उत्तरी – पूर्वी की भूमि मौके पर हिस्से में बांटी हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों को वादी एंव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 ने मौके पर आपसी सहमति बाह्मी बंटवारा कर मौके पर अलग–अलग काबिज काश्त है। वादी के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 7 में से 0.62 हैक्टर भूमि उत्तरी ओर की तथा भूमि खसरा नम्बर 4 व 6 में से 0.30 हैक्टर भूमि पश्चिमी ओर की हिस्से में बाह्मी बंटवारे में आई हुई है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

भूमि खसरा नम्बर 7 में से दक्षिण की ओर की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के बांटे में आयी हुई है और भूमि खसरा नम्बर 4 व 6 में से वादी की 0.30 हैक्टर भूमि के पश्चात शेष एंव भूमि खसरा नम्बर 5 व 10 में प्रतिवादी संख्या 3 के दक्षिण ओर की भूमि एंव प्रतिवादी सं. 4 के उत्तरी ओर की भूमि बाह्मी बंटवारे में मौके पर आई हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों को वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 तथा 4 ने मौके पर बाह्मी बंटवारा आपसी सहमति से कर अलग–अलग मौके पर काबिज काश्त करते है परन्तु उक्त भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित चली आ रही है। जिसका अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जबकि वादी एंव प्रतिवादीगण ने उक्त भूमियों का मौके पर बहिस्सा बंटवारा कर अलग–अलग मौके पर काबिज काश्त है और वर्तमान में बहिस्सा बंटवारा कर अलग–अलग मौके पर काबिज काश्त है और वर्तमान में बदलते वक्त के परिपेक्ष्य में एंव भविष्य की विधि की जटिलताओं एंव पारिवारिक सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्यनजर उक्त कृषि भूमियों का विधिक तकास्मा करवाया जाना आवश्यक है। वादी उक्त कृषि भूमियों का विधिक तकास्मा करवाया जाना भी आवश्यक है। वादी उक्त कृषि भूमियों का विधिवत् तकास्मा करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने वादी के हक हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि जो सहमति से बाह्मी बंटवारा में आयी भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कई मर्तबा संयुक्त खातेदारी भूमि होने की वजह से भूमि में मजाहमत की धमकी वादी को देते रहते है। इसलिए वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का वादी काननून अधिकारी है। इसलिए वादी के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से वादी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादी ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अर्सा करीबन एक माह पहले इन्कार हो गये तथा वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए दावा वादीगण बहक वादी विधिवत तकास्मा बाबत बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर वादपत्र को स्वीकार कर लिये जाने से वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण वादपत्र में दिनांक 28.02.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम / न्याया / स्था / प–51 / 2008 / विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 714 / रीडर / 2022 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 3883 / भू.अ. / 2024 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादी अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने अभिभाषक उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 दो जमाबन्दियाँ व नजरी नक्शा, पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 28.02.2022, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिनमें वादग्रस्त आराजी भूमि का विधिक बंटवारा करवाने बाबत राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील उभय पक्ष ने अपनी सहमती प्रकट की है। अतः वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक [illegible] राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स[illegible] से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकासमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत फुर्देजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 13.12.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. कैलाशचन्द्र पुत्र भेभाराम जाति ब्राह्मण हिस्सा 15/116 सा. कचंनपुर खातेदार 2. गिरधारी लाल पुत्र भेभाराम जाति ब्राह्मण हिस्सा 101/232 सा. कचंनपुर खातेदार 3. विश्वेश्वर लाल पुत्र भेभाराम जाति ब्राह्मण हिस्सा 101/232 सा. कचंनपुर खातेदार	10 4 5 6	0.2900 0.6400 0.1300 1.0600	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	0.75 2.16 0.33 2.72
	योग खाता	किता – 4	[illegible]3200		5.9600

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सी.क.)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1. कैलाशचन्द्र पुत्र भेभाराम जाति ब्राह्मण हिस्सा 31/77 सा. हरदाकावाली कचंनपुर खातेदार 2. प्रभाती देवी पत्नि स्व0 सुरजमल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/4 सा. देह खातेदार 3. मुक्तिलाल पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण हिस्सा 107/308 सा. देह खातेदार	7	1.5400	बारानी 3	3.96
योग खाता	किता – 1	1.5400	—	3.9600

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. कैलाशचन्द्र पुत्र भेभाराम जाति ब्राह्मण हिस्सा सम्पूर्ण सा. हरदाकावाली कचंनपुर खातेदार	7/1 4/4	0.6600 0.1858	बारानी–3 बारानी–3	1.70 0.47
	योग खाता	किता – 2	0.8458	बारानी–3	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

1 प्रभाती देवी पत्नि स्व0 सुरजमल जाति ब्राह्मण हिस्सा 73/176 सा. देह खातेदार 2 मुक्तिलाल पुत्र सुरजमल जाति ब्राह्मण हिस्सा 103/176 सा. देह खातेदार	7/2	0.8800	बारानी–3	2.26
गिरधारी लाल पुत्र भेभाराम जाति ब्राह्मण हिस्सा सम्पूर्ण सा. हरदाकावाली कचंनपुर	4/2 6/2	0.3171 0.4900	बारानी 3 बारानी 3	0.82 1.26
योग खाता	किता – 2	0.8071	बारानी–3	2.08
विश्वेश्वर लाल पुत्र भेभाराम जाति ब्राह्मण हिस्सा सम्पूर्ण सा. हरदाकावाली कचंनपुर खातेदार	4/3 6/3	0.3171 0.4900	बारानी–3 बारानी–3	0.82 1.26
कुल योग	किता–2	0.8071	बारानी–3	2.08
5 1. कैलाशचन्द्र पुत्र भेभाराम उर्फ भोमाराम हिस्सा 1/5 2. गिरधारी लाल पुत्र भेभाराम उर्फ भोमाराम हिस्सा 1/5 3. विश्वेश्वर लाल पुत्र भेभाराम उर्फ भोमाराम हिस्सा 1/5 4. प्रभाती देवी पत्नि स्व0 सुरजमल हिस्सा 1/5 5. मुक्तिलाल पुत्र सुरजमल हिस्सा 1/5 समस्त जाति ब्राह्मण निवासी हरदाकावाली, कचंनपुर	6/1 4/1	0.08 0.02	बारानी–3 बारानी 3	0.20 0.05
कुल योग	किता–2		बारानी–3	0.25

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नोट खसरा नम्बर 5 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 10 रकबा 0.29 हैक्टर के मौके पर वर्तमान में पड़त होने व दीगर का कब्जा होने से इनकी जमाबन्दी में खातेदारी यथावत रखी गई है।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 3883/भू. अ./24 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी [illegible]ा मय कुरैजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:00 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)